क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान,अजमेर

कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग,पुष्कर रोड,अजमेर

घास की नीलामी

संस्थान के कृषि फार्म (कृषि फार्म, प्रायोगिक विद्यालय, परिसर, आवासीय परिसर) की नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक 08.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे कृषि फार्म पर होगी। इच्छूक व्यक्ति दिनांक 06.08.2022 से 07.08.2022 को प्रातः 10 से 12 बजे तक ठेके पर दी जाने वाली घास का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर सकता है। बोली लगाने की अन्य शर्ते संस्थान के अनुभाग अधिकारी (प.एवं.क) से प्राप्त की जा सकती है।

अन्य विवरण संस्थान की वेबसाइट www.rieajmer.raj.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

Sd/-

प्रशासनिक अधिकारी

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

कृषि फार्म, संस्थान व प्रायोगिक विद्यालय परिसर की घास को ठेके पर देने की शर्ते

1. पूर्ण घास (कृषि फार्म, संस्थान व प्रायोगिक विद्यालय परिसर) की घास की नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक 08.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे कृषि फार्म पर होगी।
2. बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली लगाने से पहले 1600/-(सोलह सौ रूपये) धरोहर राशि के रूप में नीलामी स्थल पर नकद जमा कराने होंगे। संस्थान के लेखा विभाग द्वारा जमा कर रसीद दी जावेगी।
3. ठेकेदार को घास की कटाई लदाई और ढुलाई के दौरान संस्थान के उन क्षेत्रों की सफाई की भी जिम्मेदारी होगी।
4. संपूर्ण संस्थान परिसर में पशु लाने रखने व चराने की अनुमति नहीं होगी। केवल घास काटने की अनुमति होगी।
5. नीलामी की खुली बोली लगाने वाले जिन खरीददारों के पक्ष में नीलामी नहीं होती है प्रथम तीन उच्च बोलीकर्ता को छोड़कर शेष की धरोहर राशि वापस लौटा दी जाएगी।
6. पूर्ण घास को एक ही बार काटने का ठेका, नीलामी एवं पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् से 02 माह के लिये दिया जायेगा।
7. ठेके की अवधि के दौरान उक्त परिसर में किसी प्रकार की चोरी, तोड़-फोड या अवांछनीय गतिविधि होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। अनुबंध की अवधि के दौरान यदि स्वीकृत बोलीकर्ता द्वारा या उसके कर्मचारी द्वारा यदि कोई नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई जमानत राशि में से की जायेगी **या** वास्तविक कीमत पर की जायेगी जिसका निर्णय सक्षम अधिकारी या कमेटी द्वारा लिया जायेगा।
8. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी होती है उसको जमानत राशि 02 माह के बाद ही लौटाई जायेगी।
9. यदि आरक्षित कीमत की बोली नहीं लगती है तो समिति को कीमत में संशोधन का अधिकार होगा।
10. बोली लगाने वाले व्यक्ति को अपने क्षेत्र के सरपंच/पटवारी/ तहसीलदार/जिला प्रमुख/वार्ड मेम्बर से पहचान पत्र बनवाकर लाना होगा। इसी शर्त पर कोई व्यक्ति नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य माना जायेगा।
11. अनुबंध के दौरान यदि परिसर /सम्पति, पोधों व पेड़ों को नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। अथवा अनुमत ठेकेदार व उसके अधिकृत कर्मचारियों द्वारा संस्थान के कार्मिकों द्वारा संस्थान के कार्मिकों, परिसर निवासियों व विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की बदतमीजी किये जाने की स्थिति में ठेका निरस्त किया जा सकेगा है।
12. जिस खरीददार की बोली स्वीकृत होती है उसे सम्पूर्ण कीमत तीन दिनों में संस्थान के कोषागार में जमा करानी होगी। यदि उक्त तिथि तक यह राशि जमा नहीं होती है तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका निरस्त समझा जायेगा।
13. घास काटने की अनुमति बोली की सम्पूर्ण कीमत जमा होने के बाद ही दी जायेगी।
14. कटी हुई घास सुरक्षा पर्यवेक्षक/केयरटेकर की अनुमति से ही बाहर ले जाने दी जायेगी नियमानुसार।
15. अनुमत क्षेत्र में संस्थान प्रशासन के निर्देश पर ठेकेदार को घास काटनी होगी। ऐसा नही करने पर प्रशासन अपने स्तर पर घास कटवा सकेगा।
16. यदि ठेकेदार ने उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किया तो ठेका बीच में भी समाप्त किया जा सकता है तथा उसके द्वारा जमा की गई राशि जप्त कर ली जायेगी।
17. घास काटने की प्रशासनिक अनुमति प्रातः 7.00 से सांय 04.00 बजे तक रहेगी।
18. घास काटने के दौरान कोविड-19 हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमों का पालन करना होगा।
19. सड़कों के किनारे तथा रिहायशी क्षेत्र की घास को संस्थान प्रशासन अपने स्तर पर कटवाने को स्वतन्त्र है।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र, अजमेर होगा।

प्रशासनिक अधिकारी